छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 799/2008</u>

1.	श्री रमेश सिंह ठाकुर, बजरंग मंदिर के पास, संतोषी चौक, कुशालपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* कार्यालय संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएँ, रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	प्रतिअपीलार्थी

//आदेश//
(दिनांक 13 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रमेश सिंह ठाकुर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएँ, रायपुर के समक्ष दिनांक 31.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 21.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 07.01.2009 को प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि दिनांक 12.04.2008 को उन्हें शुल्क की सूचना प्राप्त हुई और उनके द्वारा यह राशि दिनांक 07.05.2008 को जमा कराई गई। प्रति अपीलार्थी ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधित जानकारी तैयार कर दिनांक 19.06.2008 को लगभग 1500 पृष्ठ की जानकारी जन सूचना अधिकारी को प्रेषित कर दी गई और अधिकांश जानकारी चूंकि जिलों से संबंधित थी, अतः जिलों से प्रदाय करने के लिए निर्देशित कर, आवेदन हस्तांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्क में यह भी मॉग की गई कि उन्हें विलंब से यह जानकारी प्राप्त हुई है, अतः उनके द्वारा जमा राशि 3000/– रूपये उन्हें लौटाया जावे। प्रकरण में चर्चा में यह बताया गया कि शेष जानकारी तो मिल गई है, किन्तु अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित जानकारी नहीं मिली है, इस संबंध में सुनवाई उपरांत अपीलार्थी का तर्क मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति जिला कार्यालय में ही की जाती है, अतः अपीलार्थी को वहॉ सीधे आवेदन करना चाहिए। चूंकि संचालनालय में उपलब्ध समस्त जानकारी दी जा चुकी है, उक्त जानकारी को प्रभारी लिपिक द्वारा अभिप्रमाणित की गई, जिसे अपीलार्थी अभिप्रमाणित नहीं बता रहे

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

हैं, चूंकि यदि लिपिक द्वारा अभिप्रमाणित की गई है तो वह पर्याप्त है, यह आवश्यक नहीं है कि जन सूचना अधिकारी प्रत्येक पृष्ठों को अभिप्रमाणित करें । प्रकरण में शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है और जानकारी नहीं देने के पीछे उनकी कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । चूंकि प्रकरण में शुल्क जमा करने के उपरांत भी जानकारी 30 दिवस के बाद उन्हें प्रदाय की गई है, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि जमा शुल्क की राशि अपीलार्थी को विभाग द्वारा लौटायी जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 200/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com